भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1280

13 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात की कीमत में तीव्र वृद्धि

1280. श्री पी. विल्सन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में इस्पात की कीमतों में तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का घरेलू खपत हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले इस्पात की कीमतों को कम करने के लिए इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लगाए गए करों में राजसहायता देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण चैनलों के माध्यम से आवश्यक घरेलू सामान को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क)और(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ कीमतों का निर्धारण घरेलू माँग एवं आपूर्ति की स्थिति, वैश्विक बाजार की परिस्थितियों, कच्चे माल की कीमतों के रुझान, लॉजिस्टिक लागत और विद्युत एवं ईंधन लागत आदि पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा इस्पात की कीमतों में बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने और स्वदेशी रूप से उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए थे:-

(i) दिनांक 21.05.2022 की सीमाशुल्क अधिसूचना के माध्यम से कोकिंग कोल, लौह एवं इस्पात सहित महत्वपूर्ण कच्चे माल तथा मध्यवर्ती सामग्रियों पर आयात एवं निर्यात शुल्क का अंशांकन (कैलिब्रेशन) किया गया, जिसके माध्यम से लौह अयस्क, पेलेट्स तथा विभिन्न इस्पात उत्पादों के निर्यात पर निर्यात शुल्क लागू किया गया तथा कोकिंग कोल एवं फैरो-निकेल जैसे कच्चे माल पर आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया था।

(ii) मौजूदा परिस्थितियों के साथ-साथ इस्पात की वैश्विक उपलब्धता तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव के आलोक में दिनांक 18.11.2022 की सीमाशुल्क अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त अधिसूचना को वापस लिए जाने की अधिसूचना जारी की गई।

(iii) केन्द्रीय बजट 2021-22 के माध्यम से नॉन-अलॉय, अलॉय तथा स्टेनलेस स्टील के सेमीज, फ्लैट एवं लॉन्ग उत्पादों पर आधारभूत सीमाशुल्क को समान रूप से घटाकर 7.5% कर दिया गया है।

(iv) सीआरजीओ के कच्चे माल, इस्पात स्क्रैप तथा निकेल कैथोड पर आधारभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) पर छूट को 31.03.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की औसत कीमतों में अप्रैल, 2022 तथा जनवरी, 2023 के दौरान गिरावट आई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

इस्पात की सामग्री	**अप्रैल, 2022**	**जनवरी, 2023**
पिग आयरन	61597	49172
पेंसिल इंगोट्स	57970	48966
वायर रॉड्स 8 एमएम	65949	55479
राउंड्स 12 एमएम	66674	57731
टीएमटी 10 एमएम	70265	58536
प्लेट्स 10 एमएम	76225	57769
एच. आर. क्वायल्स 2.00 एमएम	77949	58608
सी. आर. क्वायल्स 0.63 एमएम	86335	65042
जी. पी. शीट्स 0.63 एमएम	91617	68864
मेल्टिंग स्क्रैप एचएमएस-II	45449	42167
स्पंज आयरन (कोयला आधारित)	41379	35631
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), मूल्य रु. प्रति टन में जीएसटी को छोड़कर		

(ग)और(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, जोकि पूरक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य किसी एक घर अथवा समाज के एक वर्ग को इस योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली किसी वस्तु की समग्र आवश्यकता को उपलब्ध कराना नहीं है। वर्तमान में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण के लिए गेहूँ, चावल, चीनी तथा केरोसिन का आवंटन किया जा रहा है। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दालों, खाद्य तेलों, आयोडीन युक्त नमक, मसालों आदि जैसी व्यापक खपत वाली अतिरिक्त वस्तुओं का भी पीडीएस आउटलेट के माध्यम से वितरण करते हैं।

****